

2.3.2016

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मे पेश हुयी । वादीयां एवं वादीया के वकील को रूक - रूक कर बार-बार आवाज लगाई गई। वादीया एवं उनके वकील उपस्थित नही है। अतः वादीया का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

